

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

जयपुर, दिनांक: 18 .04.2022

क्रमांक : प. 18(3)स्था./गृह-10/16

आदेश

निम्न सहायक निदेशक अभियोजनगण के पदस्थापन/स्थानान्तरण प्रशासनिक तौर पर लोकहित में

तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि०वि०
1.	श्री आसनदास मूलवानी	सहायक निदेशक अभियोजन, सीकर	स०नि०अ०, भ०नि० ब्यूरो, जयपुर 1	श्री लेखरा के स्थान पर
2.	श्री सुरेश कुमार लेखरा	सहायक निदेशक अभियोजन, भ०नि० ब्यूरो, जयपुर 1	सहायक निदेशक अभियोजन पुलिस अकादमी, जयपुर	श्री चतुर्भज के स्थान पर
3.	श्री चतुर्भज शर्मा	स०नि०अ० पुलिस अकादमी, जयपुर	सहायक निदेशक अभियोजन, सीकर	श्री मूलवानी के स्थान पर

संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

sd -
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस एसीबी।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन
8. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
9. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
10. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

(Handwritten Signature)
18/4/22
शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(5)स्था/राजपत्रित/अभि/2016/204-223

जयपुर, दिनांक:- 18.04.2022

आदेश


निम्न अभियोजन अधिकारीगण का स्थानान्तरण लोकहित में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सहा0 अभि0अधि0	कहाँ से	कहाँ को	वि0वि0
1.	श्री संजीव पुरोहित अभियोजन अधिकारी	न्या. एसीजेएम, जैतारण, पाली	न्या. एसीजेएम, PCPNDT, बीकानेर	रिक्त पद पर
2.	श्रीमती सपना चौहान अभियोजन अधिकारी	न्या. एसीएमएम 6, जोधपुर	न्या. एसीजेएम, जैतारण पाली	श्री पुरोहित के स्थान पर
3.	श्री संजय कुमार सरोवा सहा. अभियोजन अधिकारी	ग्राम न्यायालय, मण्डोर, जोधपुर	न्या. एसीजेएम 2, बाड़मेर (पद विरुद्ध)	रिक्त पद पर

श्री भंवर कुलदीप राठौड़, अभियोजन अधिकारी, न्या. एसीजेएम 1, बाड़मेर अग्रिम आदेश तक अस्थाई रूप से कार्यव्यवस्था के रूप में न्यायालय एसीजेएम (एसपीई) जयपुर ग्रामीण में कार्य करेंगे।

श्री संजीव पुरोहित, अभियोजन अधिकारी का स्थानान्तरण स्वेच्छिक है, इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

संबंधित उप/सहायक निदेशक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारी की कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।


(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन